भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2591

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

सोशल मीडिया पर महिलाओं का ऑनलाइन पीछा करना

2591. डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश भर में फर्जी समाचारों के परिचालन को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को पूरे देश में पूर्णतः लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्रयोक्ताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर महिलाओं का ऑनलाइन पीछा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क): सरकार फर्जी और भ्रामक जानकारी जिनसे बड़े पैमाने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, सरकार ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए सांविधिक और संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं।

प्रिंट मीडिया के लिए समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा बनाए गए पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन करना आवश्यक है, जो अन्य बातों के साथ-साथ

फर्जी/मानहानिकारक/भ्रामक समाचारों के प्रकाशन पर रोक लगाते हैं। परिषद अधिनियम की धारा 14 के अनुसार मानकों के कथित उल्लंघन की जांच करती है, तथा मामले के अनुसार समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी दे सकती है, भर्त्सना कर सकती है या निंदा कर सकती है।

प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों की सामग्री को केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर ऐसी कोई सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी जिसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, मिथ्या और विचारोत्तेजक संकेत और अर्धसत्य शामिल हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 में टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है। जहां कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

डिजिटल मीडिया पर प्रकाशकों और समाचार एवं समसामयिक मामलों की सामग्री के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021)एक आचार संहिता निर्धारित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें पत्रकारिता के आचरण के मानकों और कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित है।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों से निपटने के लिए नवंबर, 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचार की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के बाद एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करता है।

(ख): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ('डीपीडीपी अधिनियम') को 11 अगस्त, 2023 को अधिसूचित किया गया है, ताकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को इस तरह से संसाधित किया जा सके कि व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों पर ध्यान दिया जाए।

(ग): ऑनलाइन दुर्व्यवहार और महिलाओं का पीछा करने सहित साइबर अपराध करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग की घटनाओं की रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 78 के तहत की जाती है। "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के रिपोर्ट किए गए मामलों से निपटते हैं। गृह मंत्रालय 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' नामक एक स्कीम भी क्रियान्वित

कर रहा है, जिसके तहत सितंबर, 2018 में एक ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है, ताकि जनता बाल-पोर्नोग्राफी/बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार/सामूहिक बलात्कार इमेजरी या यौन स्पष्ट सामग्री से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट कर सके। पोर्टल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर अपराध की शिकायतों को ऑनलाइन देखने और उचित कार्रवाई करने की सुविधा प्रदान करता है।

*****